

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर

ग्राम पंचायत-शिवाड़

प्रकरण संख्या:- 03/2026

दिनांक:- 2/1/2026.

उनवान

श्री संमुख शं. डीरा  
जाति बैरवा

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का शिवाड़ A, B भू अ. नि. शिवाड़ एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम शिवाड़ प 0 ह 0 शिवाड़ A की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 258, 269 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	<u>जाति बुद्धी</u>	<u>गिरिज/शं. भूरा तारा</u> <u>शं. मन्ना पांच्या पु. चिमन्या</u> <u>रेखा पु. लडमग डीरा पु</u> <u>चमन्या जाति बैरवा</u> <u>डि. लडस्तू लजमा.</u>	<u>गिरिज पु. भूरा तारा पु</u> <u>मन्ना पांच्या पु. चिमन्या,</u> <u>रेखा पु. लडमग डीरा पु</u> <u>चमन्या जाति बैरवा</u> <u>डि. लडस्तू लजमा.</u>

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री संमुख शं. डीरा जाति बैरवा



उपखण्ड अधिकारी  
**उपखण्ड अधिकारी**  
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

उपखण्ड अधिकारी  
**उपखण्ड अधिकारी**  
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)